

राशनी
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर
राशनी

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

2. प्रार्थी श्री विश्व कृष्ण को संन्यास।

किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

1. तहसीलदार, राशनी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र

प्रतिदिन :-

दिनांक :-

क्रमांक: सदर/5-11(211)2023

राशनी
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर
राशनी



क्र.सं.	सौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	पिन्ड कवर	पिन्ड कवर
1.	राशनी	146,147	पिन्ड कवर		
	आदेश	संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)		

जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

द्वारा प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये।
राशनी व जिला **वितीरगढ़** की जमाबन्दी सम्वत् **2077** में खाला संख्या **146,147** में वर्तमान में राजस्व अंश-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में सौजा **राशनी** तहसील निरीक्षक वृत्त **राशनी** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **राशनी** की राजस्व अनुशेषा के आधार पर प्रार्थी के "खाला दुल्हनी" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पटवार हल्का **राशनी** में अभिलेख

प्रमाण :- 21/08/2023

:- आदेश :-

प्रशासन शाखा के राज
अभियान-2023

(पीठाधीन अधिकारी कंस कर्ट) कंस :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पटल सहायक कलेक्टर राशनी

राजस्थान सरकार

